

प्राचार्य कार्यालय,

भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा - 803115

E-mail: principal.vims.pawapuri@gmail.com  
Website: www.vims.pawapuri.org

Principal Mob. No- 9939013770



पत्रांक - ३६९

पावापुरी, दिनांक १२/०३/२०२४

## दैनिक भाड़ा पर बस उपलब्ध कराने हेतु दर निर्धारण के संबंध में कोटेशन आमंत्रण सूचना

संस्थान में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को परीक्षा, F.M.T. प्रशिक्षण, P.S.M. प्रशिक्षण आदि हेतु संस्थान परिसर से बिहारशरीफ, रहुई, चंडी आदि अनेक स्थलों पर जाना होता है। उक्त हेतु दैनिक किराया पर एक अदद वातानुकूलित बस का दर निर्धारित करने हेतु वाहन मालिक/टूर एण्ड ट्रेवलर्स अनुज्ञाप्ति धारी/ट्रांसपोर्टर जो निम्नलिखित पात्रता रखते हों, से कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन द्वि पद्धति सीलबंद लिफाफे में प्राचार्य, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, नालन्दा में निर्धारित तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। आवश्यकतानुसार कार्यादेश दिया जायेगा।

- १. प्रथम लिफाफा-** इस पर “भाड़े की गाड़ी के दर निर्धारण हेतु तकनीकी निविदा” लिखी होनी चाहिए तथा दिये गये प्रपत्र को भर कर वांछित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्राप्ति संलग्न करना होगा।
- २. द्वितीय लिफाफा-** इस पर “भाड़े की गाड़ी हेतु दर निर्धारण संबंधी वित्तीय निविदा” लिखी होनी चाहिए तथा दिये गये प्रपत्र को भरना होगा।
- ३. तृतीय लिफाफा-** यह लिफाफा उपरोक्त दोनों लिफाफे से बड़ा होगा जिसमें दोनों लिफाफा सुगमता से आ जाये। इस लिफाफे में उपरोक्त दोनों लिफाफों को रखकर इसे सीलबंद करना होगा। इसपर “भाड़े की गाड़ी हेतु दर निर्धारण संबंधी कोटेशन” लिखा होगा एवं बायीं तरफ प्रेषक का पूरा नाम, पता, मोबाइल नं. तथा E Mail लिखा होना चाहिए, जबकि दायीं तरफ प्राचार्य, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, पिन कोड - ८०३११५, जिला - नालन्दा (बिहार) लिखा होना चाहिए।

### पात्रता एवं शर्तें-

४. दिया गया दर एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य है। अधोहस्ताक्षरी को अवधि में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। आवश्यकतानुसार कार्यादेश दिया जायेगा, जिसका दर एक वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगा।
५. इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी का PAN Card की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
६. GST Registration अनिवार्य है, छायाप्रति संलग्न करना होगा।
७. बस वातानुकूलति एवं अच्छी स्थिति में होनी चाहिए, नयी गाड़ी को प्राथमिकता दी जायेगी।
८. कोटेशनदाता की फर्म/एजेंसी का नाम किसी सरकारी संस्थान/पी.एस.यू. द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होनी चाहिए।
९. गाड़ी के सभी कागजात एवं कर भुगतान अद्यतन होने चाहिए।
१०. परिवहन से संबंधित जो भी नियम एवं कानून होंगे उसका अनुपालन कोटेशनदाता को करना होगा।

८/३/२४

11. चालक के पास नियमानुकूल वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं गाड़ी चलाने का पर्याप्त अनुभव एवं तकनीकी जानकारी होनी चाहिए ताकि रास्ते में गाड़ी के ब्रेकडाउन होने पर परेशानी नहीं हो। चालक को सभ्य, मृदुभाषी, अच्छी आदतों वाला एवं अनुशासित होना चाहिए। चालक आपराधिक प्रवृत्ति वाला नहीं होना चाहिए एवं उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए।

12. तकनीकी निविदा के साथ गाड़ी का निबंधन, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य अभिलेख जो विहित प्रपत्र में निर्देशित है कि स्व अभिप्राणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।

13. किसी दुर्घटना/ब्रेक डाउन/तकनीकी एवं अन्य खराबी की सारी जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।

14. अगर किसी कारणवश गाड़ी खराब हो जाती है तो अविलम्ब दूसरी गाड़ी उपलब्ध करानी होगी।

15. वाहन का व्यवसायिक निबंधन होना अनिवार्य है। एक बार दी हुई गाड़ी बिना अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के बदली नहीं जायेगी।

16. प्रस्तावित दैनिक दर (12 घंटे की अवधि) बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावित दर ईंधन एवं ड्राइवर सहित देय होगा। 75 किलोमीटर से अधिक रीडिंग होने पर चयनित फर्म/एजेन्सी को प्रति किलोमीटर अतिरिक्त राशि देय होगा। विपत्र पर नियमानुसार GST देय होगा।

15 कोटेशन निरस्त करने/तिथि विस्तारित करने एवं अन्य किसी निर्णय लिये जाने का अधिकार क्रय समिति/अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

### तकनीकी निविदा हेतु प्रपत्र –

क्र.	कोटेशनदाता का नाम एवं पता	वाहन का प्रकार, मॉडल	वाहन नं.	वाहन का स्थायी निबंधन प्रमाण पत्र	अद्यतन प्रदूशण नियंत्रण प्रमाण पत्र	वाहन का टैक्स रसीद	अद्यतन बीमा	PAN No	GST No	अभियुक्ति

### वित्तीय निविदा हेतु प्रपत्र –

क्र.	कोटेशनदाता का नाम एवं पता	वाहन का कंपनी, मॉडल	वाहन का मासिक दर (ड्राइवर एवं 75 KM ईंधन सहित)	75 KM से अधिक प्रति किलोमीटर का दर	अभियुक्ति

81  
2/31/24

कोटेशन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। कोटेशन दिनांक 16/03/2024 को अपराह्न 05:00 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन अमान्य होंगे।

कोटेशन निरस्त करने/तिथि विस्तारित करने एवं अन्य किसी निर्णय लिये जाने का अधिकार क्रय समिति/अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

8/2/24  
प्राचार्य

भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान,  
~~पावापुरी~~ पावापुरी, नालन्दा।

ज्ञापांक - 369 पावापुरी, दिनांक 02/03/2024

प्रतिलिपि - बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रभारी, छात्र शाखा, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल पावापुरी, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - श्री संजीव कुमार रंजन, डाटा इन्फ्री ऑपरेटर, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, नालन्दा को आदेशित है कि आज ही उपरोक्त कोटेशन आमंत्रण सूचना को संस्थान के वेबसाइट एवम् सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

8/2/24  
प्राचार्य

भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान,  
~~पावापुरी~~ पावापुरी, नालन्दा।

प्राचार्या कार्यालय,

भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा - 803115

E-mail: principal.vims.pawapuri@gmail.com  
Website: www.vimspawapuri.org

Principal Mob. No- 9939013770



पत्रांक - 370

पावापुरी, दिनांक 02/03/2024

## मासिक भाडे पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक सं.सं1 / विविध-01-27/2008-1241(1) दिनांक 14/09/2016 के निर्देश के आलोक में प्राचार्या, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, नालन्दा हेतु मासिक किराया पर एक अदद वातानुकूलित चार पहिया गाड़ी के लिए वाहन मालिक/दूर एण्ड ट्रेवलर्स अनुज्ञाप्ति धारी/ट्रांसपोर्टर जो निम्नलिखित पात्रता रखते हों, से कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन द्वि पद्धति सीलबंद लिफाफे में प्राचार्य कार्यालय, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, नालन्दा में निर्धारित तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए।

- प्रथम लिफाफा**— इस पर “भाडे की गाड़ी हेतु तकनीकी निविदा” लिखी होनी चाहिए तथा दिये गये प्रपत्र को भर कर वांछित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्राप्ति छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- द्वितीय लिफाफा**— इस पर “भाडे की गाड़ी हेतु वित्तीय निविदा” लिखी होनी चाहिए तथा दिये गये प्रपत्र को भरना होगा।
- तृतीय लिफाफा**— यह लिफाफा उपरोक्त दोनों लिफाफे से बड़ा होगा जिसमें दोनों लिफाफा सुगमता से आ जाये। इस लिफाफे में उपरोक्त दोनों लिफाफों को रखकर इसे सीलबंद करना होगा। इसपर “भाडे की गाड़ी हेतु कोटेशन” लिखा होगा एवं बायीं तरफ प्रेषक का पूरा नाम, पता, मोबाइल नं. तथा E Mail लिखा होना चाहिए, जबकि दायीं तरफ प्राचार्य, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, पिन कोड - 803115, जिला - नालन्दा (बिहार) लिखा होना चाहिए।  
**पात्रता एवं शर्तें**—
- कोटेशन दो वर्ष की अवधि के लिए मान्य है। अधोहस्ताक्षरी को अवधि में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।
- इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी का PAN Card की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
- GST Registration अनिवार्य है, छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- वाहन वातानुकूलति होनी चाहिए एवं वर्ष 2020 के पूर्व की नहीं होनी चाहिए, नयी गाड़ी को प्राथमिकता दी जायेगी।
- गाड़ी INNOVA/SAFARI/ SCORPIO/STORME या समतुल्य होनी चाहिए।
- कोटेशनदाता की फर्म/एजेंसी का नाम किसी सरकारी संस्थान/पी.एस.यू. द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होनी चाहिए।
- गाड़ी के सभी कागजात एवं कर भुगतान अद्यतन होने चाहिए।
- परिवहन से संबंधित जो भी नियम एवं कानून होंगे उसका अनुपालन कोटेशनदाता को करना होगा।

12. चालक के पास नियमानुकूल वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं गाड़ी चलाने का पर्याप्त अनुभव एवं तकनीकी जानकारी होनी चाहिए ताकि रास्ते में गाड़ी के ब्रेकडाउन होने पर परेशानी नहीं हो। चालक को सभ्य, मृदुभाषी, अच्छी आदतों वाला एवं अनुशासित होना चाहिए। चालक आपराधिक प्रवृत्ति वाला नहीं होना चाहिए एवं उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए।

13. तकनीकी निविदा के साथ गाड़ी का निबंधन, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य अभिलेख जो विहित प्रपत्र में निर्देशित है कि स्व अभिप्राणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।

14. किसी दुर्घटना/ब्रेक डाउन/तकनीकी एवं अन्य खराबी की सारी जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।

15. अगर किसी कारणवश गाड़ी खराब हो जाती है तो अविलम्ब दूसरी गाड़ी उपलब्ध करानी होगी।

16. वाहन का व्यवसायिक निबंधन होना अनिवार्य है। एक बार दी हुई गाड़ी बिना अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के बदली नहीं जायेगी।

17. प्रस्तावित दर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावित दर ईंधन एवं ड्राइवर सहित देय होगा। 2000 किलोमीटर से अधिक रीडिंग होने पर चयनित फर्म/एजेन्सी को प्रति किलोमीटर अतिरिक्त राशि नियमानुसार देय होगा। चयनित वाहन मालिक को निर्देश दिया जाता है कि वो अपने चालक को लॉग बुक उपलब्ध करायें एवं उसे अद्यतन करायें ताकि 2000 किलोमीटर से अधिक रीडिंग होने पर अतिरिक्त राशि दी जा सके। लॉग बुक अद्यतन नहीं रहने की स्थिति में स्वीकृत मासिक राशि ही पारित की जायेगी। विपत्र पर नियमानुसार GST देय होगा।

15 कोटेशन निरस्त करने/तिथि विस्तारित करने एवं अन्य किसी निर्णय लिये जाने का अधिकार क्रय समिति/अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

16 चयनित कोटेशनदाता को गाड़ी एवं ड्राइवर के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होना होगा, गाड़ी एवं चालक से संतुष्ट होने के बाद ही उन्हें कार्यादश दिया जायेगा।

#### तकनीकी निविदा हेतु प्रपत्र –

क्र.	कोटेशनदाता का नाम एवं पता	वाहन का प्रकार, मॉडल	वाहन नं.	वाहन का स्थायी निबंधन प्रमाण पत्र	अद्यतन प्रदूशण नियंत्रण प्रमाण पत्र	वाहन का टैक्स रसीद	अद्यतन बीमा	PAN No	GST No	अभियुक्ति

#### वित्तीय निविदा हेतु प्रपत्र –

क्र.	कोटशनदाता का नाम एवं पता	वाहन का कंपनी, मॉडल	वाहन का मासिक दर (ड्राइवर एवं 2000 KM ईंधन सहित)	2000 KM से अधिक प्रति किलोमीटर का दर	अभियुक्ति

81

कोटेशन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। अन्य माध्यम से प्राप्त कोटेशन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

कोटेशन दिनांक 16/03/2024 को अपराह्न 05:00 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन अमान्य होंगे।

कोटेशन निरस्त करने/तिथि विस्तारित करने एवं अन्य किसी निर्णय लिये जाने का अधिकार क्रय समिति/अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

SC  
2/3/24

प्राचार्य

भगवान् महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान,  
~~पावापुरी~~, नालन्दा।

ज्ञापांक - 370 पावापुरी, दिनांक 02/03/2024

प्रतिलिपि – बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – अधीक्षक, भगवान् महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल पावापुरी, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – श्री संजीव कुमार रंजन, डाटा इन्फ्री ऑपरेटर, भगवान् महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, नालन्दा को आदेशित है कि आज ही उपरोक्त कोटेशन आमंत्रण सूचना को संस्थान के वेबसाइट एवम् सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

SC  
2/3/24

प्राचार्य

भगवान् महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान,  
~~पावापुरी~~, नालन्दा।